न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/546

मोहन लाल आयु 86 साल आत्मज श्री प्यारे लाल जाति ओड निवासी ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मानसिंह आत्मज श्री प्यारेलाल जाति ओड निवासी ग्राम मांगली खुर्द तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना निदेशक 1–सी–10 एस.एफ.एस. कॉलोनी तलवण्डी कोटा ।
5. श्रीमान् भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री रामस्वरूप शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 08.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अप्रीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम मांगली खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को अन्य भूमियों के साथ उक्त भूमि उनके हिस्से में आई थी । वादी प्रतिवादी की जानकारी में उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि सन् 1976–77 में पुराना कब्जा होने से आवंटित की गई थी । वादी जरूरी काम से अपने ससुराल चला गया था और प्रतिवादी मानसिंह ग्राम मांगली खुर्द में ही था इस कारण उसने अपने नाम आवंटित करवा ली । उक्त भूमि पर वादी पिछले 20 वर्षो से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी को खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादी मानसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जाकर प्रतिवादी मानसिंह को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि को किसी प्रकार रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करे तथा वादी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे और न ही उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से दावा वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही सीपीसी की पालना किये बिना ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने एक दावा पेश किया था जो जवाब में लम्बित था इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत की कोई सूचना वादी अपीलान्ट को नहीं दी गई और न ही वादी अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित हुए हैं । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में वाद वादी खारिज किया गया है । पक्षकारान ने कोई राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था । वादी और प्रतिवादी शामिल रहते थे । वादी ने ही वादग्रस्त आराजी अपने भाई के नाम आवंटित करवाई थी और अपने भाई का लालन–पोषण किया है । आराजी खसरा नम्बर 37 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि सदैव वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में रही है । आपसी बंटवारे में उक्त आराजी अन्य भूमियों के साथ वादी के हिस्से में आई है । सिंचाई शुल्क भी वादी अदा करता आ रहा है, वादी ने उक्त भूमि को उपजाऊ एवं काबिल काश्त बनाया था । आवंटन के आवेदन पर वादी अपीलान्ट हस्ताक्षर नहीं कर सका था क्योंकि वह जरूरी काम से अपने ससुराल गया हुआ था और प्रतिवादी मानसिंह मांगली खुर्द में ही था इस कारण उसने अपने नाम आवंटित करवा ली। उक्त भूमि वादी अपीलान्ट को अन्य भूमियों के साथ बंटवारे में मिली है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 1 के लायक अधिवक्ता ने अंपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई थी और रेस्पोडेन्ट के गैर खातेदारी में दर्ज है । वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना एवं गलती से आवंटन के आधार पर हक घोषणा चाही है जो प्रदान नहीं की जा सकती, दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 4 के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी कम 4 व 5 के अलावा शेष प्रतिवादी के जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं हुआ सिर्फ प्रतिवादी कम 1 मानसिंह उपस्थित हुआ है । लोक अदालत हेतु वादी अपीलान्ट को जारी किये गये किसी भी सम्मन की प्रति पत्रावली में शामिल नहीं है । अपीलान्ट वादी की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर दावा वादी लोक अदालत में खारिज किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा